घोषणा पत्र/प्रमाण-पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषित करती हूँ कि स्त्री अध्ययन विभाग, म.गां.अं.हिं.वि.वि., वर्धा में एम.फिल. उपाधि हेतु यह लघु शोध-प्रबंध **"शराबबंदी आंदोलन में महिलाएं" विशेष संदर्भ : वर्धा जिला** विषय पर प्रो. शंभु गुप्त के नियमित शोध-निर्देशन में अपना कार्य पूरा किया है।

यह मेरा मौलिक शोध कार्य है। हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार यह अप्रकाशित, अप्रसारित लघु शोध प्रबंध है। यह लघु शोध प्रबंध किसी संस्था/विश्वविद्यालय की किसी भी उपाधि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रो. शंभु गुप्त
शोध निर्देशक
प्रोफेसर
स्त्री अध्ययन विभाग
संस्कृति विद्यापीठ

रेखा शंकरराव टाके
एम.फिल. 2014-15
स्त्री अध्ययन विभाग
संस्कृति विद्यापीठ

दिनांक :
स्थान : वर्धा

अनुक्रमणिका

- **प्रमाणपत्र** **पृष्ठ संख्या**
- **आभार**
- **भूमिका**

प्रथम अध्याय- शोध अध्ययन क्षेत्र का परिचय **01-15**

1.1 शोध का परिचय
1.2 शोध का उद्देश
1.2.1 शोध वक्तव्य/शोध प्रश्न
1.3 शोध की प्रवृत्ति
1.3.1 शोध की सीमा
1.3.2 शोध की नैतिकता
1.4 शोध की प्रासंगिकता
1.5 राष्ट्रीय प्रासंगिकता
1.6 अंतर विषयक प्रासंगिकता
1.7 शोध प्रविधि
1.8 प्राथमिक आंकड़ा संकलन/तथ्य संकलन
1.9 द्वितीयक आंकड़ा संकलन/तथ्य संकलन हेतु प्रविधि
1.10 आंकड़ो/तथ्यों का विश्लेषण
1.11 साहित्य पुनरावलोकन
1.12 महिला अधिकारों के लिए आंदोलन
1.13 शराबबंदी आंदोलन का स्वरूप एवं कारण
1.14 वर्धा जिले का संक्षिप्त इतिहास
1.15 विदर्भ के वर्धा में शराबबंदी

द्वितीय अध्याय **16-26**

2. शराबबंदी आंदोलन और सशक्तिकरण

2.1 आधुनिक समाज एवं महिला सशक्तिकरण

2.2 शराबबंदी महिला संगठनों के कार्य

तृतीय अध्याय **27-43**

3. शराबबंदी आंदोलन की आवश्यकता

3.1 शराबबंदी कायदा एवं समाजमन

3.2 शराब सेवन और महिला जीवन

3.3 शराब बंदी पर सरकार का रवैया

3.4 शराब के कुटीर उद्योग

चतुर्थ अध्याय **44-65**

4. शराबबंदी आंदोलनों में महिलाओं के संघर्ष

4.1 महिला आंदोलनों का इतिहास

4.2 शराब अर्थ एवं व्याख्या

4.3 मद्यपान व्यक्तिगत अपराध

4.4 शराबबंदी में पुलिस की भूमिका

पाँचवा अध्याय **66-88**

5. साक्षात्कार

5.1 शराबबंदी आंदोलन से जुड़ी महिलाओं का साक्षात्कार

5.2 शराब से पीडित महिला एवं बच्चों का साक्षात्कार

5.3 शराब (व्यसन) से मुक्त पुरूषों का साक्षात्कार

5.4 शराबबंदी कार्यक्रम की प्रगति और समस्याएँ

6. निष्कर्ष (उपसंहार) **89-94**

7. संदर्भ ग्रंथ सूची **95-99**

8. परिशिष्ट

आभार

शोध श्रमसाध्य और समयसाध्य कार्य है। शोधकार्य के पूर्ण होने में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अनेक लोगों की भूमिका होती हैं। मैं उन सभी लोगों का आभार देना अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझती हूँ।

सर्वप्रथम मेरे शोध-निर्देशक प्रो. शंभु गुप्तसर ने मुझे अपने विषय शराबंदी पर कार्य करने की अनुमती दी। आपने अपने अमूल्य सूझावों और निर्देशन के माध्यम से इस शोधकार्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की आपका बहुत्बहुत आभार।

स्त्री अध्ययन विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. सुप्रिया पाठक मैडम ने शोध के दौरान समय-समय पर अपने सुझावों के माध्यम से सहयोग प्रदान किया। तथा डॉ. प्रो. अवंतिका शुक्ला मैडम ने भी समय-समय पर मुझे अपना मार्गदर्शन प्रदान किया। आप का बहुत बहुत आभार।

मेरे इस शोध कार्य में मेरे सहपाठियों का भी सुझाव मुझे समय्समय पर मिलता रहा। शिल्पा, राजकुमार, संतोषजी, श्याम, मनोज, अफसर, अस्मिता, आकांक्षा के प्रति भी बहुत आभारी हूँ। जिन्होंने मेरे साथ एक स्वस्थ परिचर्चा कर मुझे कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने में मेरी मदद की हैं।

मेरे इस शोध कार्य को पूरा करने में कांचन और अश्विनी, शुभांगी के प्रति भी बहुत आभारी हूँ। अंत में मैं उन सभी लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। जिन्होंने मेरे परियोजना कार्य को पूरा करने में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मेरी मदद की है।

मेरे पति तथा मेरे बच्चों के सहयोग ने मुझे उत्साहवर्धन दिया। जिनकी प्रेरणा का मेरे इस शोधकार्य में उनका अमूल्य योगदान रहा। उनका बहुत-बहुत आभार। ------

भूमिका

"शराबबंदी आंदोलन में महिलाएँ" (वर्धा जिला विशेष संदर्भ में)

स्त्री अध्ययन विभाग में एम.फिल. में मैने अपने शोध कार्य के लिये विषय के बारे में जब सोचना शुरू किया तब मैंने वर्धा शहर का परिक्षण कर वर्धा में चल रहे आंदोलनों को देखा तथा महिलाओं द्वारा चलाये जानेवाले आज के समय में चल रहे आंदोलनों को देखते हुये मैंने अपने इस विषय के बारे में अपने विभाग के अध्यापकों से बातचीत/चर्चा के उपरांत अपने विषय पर कार्य करना आंरभ किया। मेरे इस परियोजना कार्य का विषय 'शराब' पर शराबबंदी आंदोलन में महिलाएँ निश्चित किया गया। विभाग के सभी सन्मान्य शिक्षकों ने इस विषय पर कार्य करने की सहमती जतायी।

मेरे लघुशोध-प्रबंध का शीर्षक शराबबंदी आंदोलन में महिलाएँ(वर्धा जिले के विशेष संदर्भ में) हैं। मैंने इस शोध में 2005 से 2015 वर्तमान तक का समय दिया हैं। इस शोध प्रबंध के अंतर्गत चार अध्याय प्रस्तावित है। प्रथम अध्याय के रूप में प्रस्तुत शोध कार्य की शोध-प्रविधि रखा हैं। इस अध्याय के अंतर्गत शोध साहित्य का पुनरावलोकन, संकलन तथ्य, तथ्यों का विश्लेषण, शोध की प्रवृत्ति, शोध की नैतिकता, शोध की प्रासंगिकता, राष्ट्रीय प्रासंगीकता शोध का उद्देश शोध के प्रश्न को रखा गया हैं। शोध का क्षेत्र, शोध सीमा को रखा गया हैं। जिससे शोध कार्य की अंतदृष्टि का पता चल सके।

इसके अंदर सब चैप्टर है। वर्धा में शराबबंदी आंदोलन का स्वरूप एवं कारण तथा इसके अंतर्गत वर्धा का संक्षिप्त इतिहास के बारे में लिखा हैं। जिसके अंतर्गत वर्धा में चल रहे शराबबंदी आंदोलनों में महिलाओं के सहभाग के बारे में लिखा हैं। द्वितीय अध्याय के रूप में शराबबंदी आंदोलनों के रूप में महिलाओं में सशक्तिकरण के बारे में लिखा हैं। जिसके अंतर्गत आधुनिक समाज एवं महिला सशक्तिकरण तथा शराबबंदी आंदोलनों में सक्रिय महिला संगठनों के कार्य के बारे में लिखा हैं।

तृतीय अध्याय में मैने वर्धा में शराबबंदी आंदोलन की आवश्यकता क्यों महसूस हुयी इस बारे में लिखा हैं। तथा शराब सेवन से महिलाओं का जीवन किस तरह पिडित होता है। इन्हें जानने की कोशिश की हैं।

चतुर्थ अध्याय के अंतर्गत इतिहास में शराबबंदी आंदोलन किस प्रकार सक्रिय रहे तथा उनमें महिलाओं के सहभाग को मैंने लिखा हैं। तथा शराबबंदी आंदोलनों में महिलाओं के संघर्ष को लिखा गया हैं। जिसमें महापुरूषों के कथन तथा पुलिस का रवैया किस तरह से देखा गया है। उसे भी लिखा हैं। तथा लेखकों की व्यसनों पर व्याख्यायें भी दी हैं।

पाँचवे अध्याय में साक्षात्कार से हुयी बातचित के बारे में बताया हैं। महिलाओं का परिचय तथा संगठन का नाम, तथा उनके परिवार की जानकारी को लेकर उनके जिवन में शराब से जुड़ी घटनाओं के बारे में लिखा हैं। तथा उनके साथ घटित घटनाओं का विश्लेषण भी मैंने इस शोध कार्य के अंतर्गत किया हैं।

लघुशोध-प्रबंध के अंत में निष्कर्ष के अंतर्गत विषय का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया हैं। अपनी समझ के अनुसार करने की कोशिश की है। शराबबंदी आंदोलनों में महिलाओं के संघर्ष को देखने की कोशिश की हैं। तथा उनकि स्थिति कैसी है? तथा उन्हें किस तरह सहायता प्राप्त होती हैं? इन सवालों का जवाब इस परियोजना कार्य में खोजा गया हैं। इसके बाद संदर्भग्रंथ सूची को शामिल किया गया है। जिसके अंतर्गत शोध में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रयुक्त समस्त पुस्तकों की सूचि सम्मिलित हैं। तथा समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं का संकलन भी सम्मिलित किया गया हैं। इसके बाद परिशिष्ट को शामिल किया गया है। जिसके अंतर्गत समाचार पत्रों में आये चित्रों के माध्यम से शराबबंदी को दर्शाया गया हैं।

1.1 शोध का परिचय :-

वर्तमान समय में शराब और मादक पदार्थों के सेवन के प्रमाण बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही महिला पर उत्पीड़न की घटनायें लगातार हमारे सामने आती रहती हैं। पर आज भी आधुनिकता के इस दौर में आकर महिला शराबी पति से पिडित शोषित होते हुये भी इन विषयों पर खुलकर बात नहीं करती। इसके पीछे कई कारण होते है। नशा शराब से महिला उत्पीड़न से संबंधित कारणों को जानने व इसके समाधान प्रस्तुत करने के प्रयास को दृष्टिगत रखते हुए यह शोध विषय शराबबंदी आंदोलन में महिलाएँ(विशेष संदर्भ वर्धा) चुना गया है।

1.2 शोध का उद्देश्य :-

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य महिलाओं के साथ शराब से होनेवाली हिंसा के कारणों एवं उसके द्वारा उनकी शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति का अध्ययन करना है। इसके साथ इसकी रोकथाम हेतु शराबबंदी के लिए उचित नियमों का अध्ययन करना। यह मेरे शोध के उद्देश है। प्रस्तुत शोधकार्य के उद्देश इसप्रकार है।

1. समाज में पितृसत्ताक पद्धति के अंतर्गत महिलाओं की स्थिति को समझना।
2. समाज में स्त्री-पुरूष समानता के बावजूदभी स्त्री यहाँ दोय्यम दर्जे पर है और उनकी स्थिति निकृष्ट है।
3. महिलाओं के शराबबंदी आंदोलनों में योगदानको परखना।
4. महिलाओं का अपने ही परिवार में उपेक्षित बनने के कारण को समझना और उसका अध्ययन करना।
5. शराबबंदी आंदोलनों का समाज पर प्रभाव यह मेरे शोध के उद्देश है।

1.2.1 शोध प्रश्न/शोध वक्तव्य

प्रस्तुत शोध के निम्नलिखित प्रश्न है।

1. वर्धा में महिलाओं के शोषण के क्या कारण है?
2. समाज में पितृसत्ता का महिला पर कैसे प्रभाव पड़ता है?
3. शराबबंदी आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका क्याहै?
4. महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ पर क्या परिणाम हुए है?
5. पितृसत्ताक संस्कृति तथा आधुनिकता का प्रभाव महिला पर किस प्रकार बढ़ा?

1.3 शोध की प्रवृत्ति

प्रस्तुत शोध की प्रवृत्ति विश्लेषणात्मक एवं विवरणात्मक है जिसके अंतर्गत महिलाओं के साथ होनेवाले शोषण तथा यौन उत्पीड़न, हिंसा, महिलाओं में शराब और अन्य व्यसनों के कारण किस प्रकार बढ़ी इसे नये दृष्टिकोण से देखने तथा उसके कारणों की पड़ताल करने का प्रयास किया गया है। साथ ही विभिन्न रूपों में पीडित महिला, हिंसा तथा इसके रोकथाम के उपायों का भी अध्ययन किया गया है।

1.3.1 शोध की सीमा

प्रस्तूत शोध की सीमा यह है कि शराब यह एक बहुत ही संवेदनशील विषय है, जिसके संबंध में लोग आसानी से बात नहीं करते। अपने घर में पति, बेटा या पिता यदि शराब पीते भी हैं तो घर की महिलायें भूल कर भी इस बात का जिक्र किसीसे नहीं करती। उन्हें अपनी बदनामी का डर होता है। इसके पीछे कई प्रकार से असुरक्षा की भावना कार्य करती है। अत: शोध के अंतर्गत किसी प्रस्तूत कारण को नहीं लिया जा सकता। इस शोध के अंतर्गत तथ्यों व आकड़ों का विश्लेषण द्वितीय स्त्रोत के आधार पर किया गया है। यही प्रस्तुत शोध की सीमा है।

1.3.2 शोध की नैतिकता

किसी भी शोध कार्य के अंतर्गत नैतिकता का होना बहुत ही आवश्यक है, प्रस्तुत शोध के अंतर्गत जिन घटनाओं का अध्ययन किया गया तथा जिन अन्य लोगों की सहायता प्राप्त की गयी। उनकी गोपनीयता व पहचान को सीमित रखना ही प्रस्तूत शोध की नैतिकता है।

1.4 शोध की प्रासंगिकता

प्रस्तुत शोध शराबबंदी आंदोलन की समस्या पर नारीवादी दृष्टिकोण से किया जानेवाला शोध है। इसके अंतर्गत शराब बनाने की अपराधी प्रवृत्ति के पीछे की सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, राजनैतिक, स्थिति व कारणों को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही शराबबंदी आंदोलन की समस्याके संबंध में हिंदी में ज्यादा सामग्री उपलब्ध न होने के कारण यह शोध सभी शोधार्थियों के लिए जोकि शराबबंदी पर होनेवाले तमाम सैद्धांतिक

तथा व्यवहारिक पक्षों को जानना और समझना चाहते है। उनके लिए उपयोगी होगा। इन्हीं सब बातों और तथ्यों से इस शोध विषय के चुनाव की प्रासंगिकता सिद्ध होती है।

1.5 राष्ट्रीय प्रासंगिकता

शराब से पिडित महिला और उनके शोषण की समसया राष्ट्रीय स्तर की समस्या है। इसके साथ ही प्रस्तुत शोध संभवत: नारीवादी दृष्टिकोण से किया जानेवाला शोध है। जिसके अंतर्गत नारीवादी नजरिये से शराबबंदी आंदोलन में सहभागी महिलाओं पर कि गई हिंसा को देखने का प्रयास किया गया है। इन सभी बातों से इस शोध की राष्ट्रीय प्रासंगिकता सिद्ध होती है।

1.6 आंतरविषयक प्रासंगिकता

प्रस्तुत शोध विषय 'शराबबंदी आंदोलन में महिलाऐं' का सबंध सिर्फ स्त्री अध्ययन विषय से ही नहीं अपितु समाज के विभिन्न विषयों से भी है जैसे समाजशास्त्र क्योंकि यह शोध विषय एक सामाजिक समस्या के रूप में उभरा है। इस कारण समाज विज्ञान के दृष्टिकोण से भी इसे देखा जा सकता है। साथ ही अपराधशास्त्र व मानवाधिकार जैसे विषयों के संबंध में भी इस शोध विषय की उपयोगिता होती है। चाहे वह स्त्रियों के यौन शोषण के बढ़ते अपराध के नजरियों से देखना हो या मानवाधिकार के हनन के रूप में। इसके अलावा जनसंचार विषय के माध्यम से भी प्रस्तुत शोध की महत्ता को देखा जा सकता है। इसके द्वारा मीडिया इन सभी विषयों व मुद्दों पर जिस प्रकार कार्य करता है इसे भी समझने का प्रयास किया गया है, इन सभी विषयों से किसी ना किसी रूप में संबंध होने के कारण प्रस्तुत शोध की अंतरविषयक प्रासंगिकता स्पष्ट होती है।

1.7 शोध प्रविधि

किसी भी शोध कार्य की रूपरेखा को सुव्यवस्थित ढंग से पूरा करने हेतु शोध प्रविधि की आवश्यकता होती है। शोध प्रविधि के माध्यम से ही किसी भी शोध कार्य की रूपरेखा निर्धारित की जाती है। जिसके द्वारा किसी भी शोध से संबंधित उद्देशों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। प्रस्तुत शोध कार्य को पूरा करने हेतु नारीवादी शोध प्रविधि का प्रयोग किया गया है। जिसके अंतर्गत तथ्यों का संकलन व विश्लेषण गुणात्मक शोध प्रविधि के आधार पर किया गया है।

1.8 तथ्य संकलन/प्राथमिक आंकडा संग्रह

प्रस्तुत शोध के अंतर्गत प्राथमिक आंकड़ा एवं तथ्य संकलन हेतु प्रश्नावली के माध्यम से प्रश्न पूछे गये तथा साथ ही साक्षात्कार व बातचित के माध्यम से कई महत्वपूर्ण पहलूओं के संबंध में जानकारी प्राप्तकी गयी।

1.9 संकलन तथ्य/द्वितीयक आंकड़ा संग्रह

प्रस्तुत शोध के अंतर्गत द्वितीयक आंकड़ा संग्रह एवं तथ्य संकलन हेतु शोध विषय से संबंधित पुस्तकों, पत्रपत्रिकाओं, समाचार पत्रों, रिपोर्टो का प्रयोग किया गया। इसके साथ ही विषय से संबंधित विभिन्न फिल्मों व इंटरनेट के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त की गयी।

1.10 तथ्यों/आंकड़ों का विश्लेषण

इस शोध विषय के अंतर्गत विभिन्न प्राथमिक व द्वितीयक स्त्रोत से प्राप्त तथ्यों व आकड़ों का विश्लेषण शोध की स्थिति के आधार पर शोध प्रविधि के अनुसार किया गया है।

1.11 साहित्य पुनरावलोकन

1) कुमार राधा, 2002, 'स्त्री संघर्ष का इतिहास', वाणी प्रकाशन, 21-ए दरियागंज, नयी दिल्ली- 110002 - इस पुस्तक में सन् 1800-1990 के दौरान महिला अधिकारों के लिए किये गये आंदोलनों एवं नारीवाद का सचित्र दर्शन है। और इस किताब का अनुवाद एवं संपादन रमा शंकर सिंह'दिव्यदृष्टि' ने किया है।

यह पुस्तक उन्नीसवीं सदी से लेकर आज तक भारत में हुए महिला आंदोलनों के संक्षिप्त व्याख्यात्मक इतिहाकी दिशा में एक प्रयास है। महाद्वीप के आकार वाले इस विशाल देश में हुई दो सौ वर्ष की गतिविधियों को इस पुस्तक में वर्णित नहीं किया जा सकता। अत: यहाँ पर बड़े अभियानों के चुने हुए सर्वेक्षण तत्कालीन समस्याओं एवं मुद्दों पर संगठनों की सोच और उसके परिणामस्वरूप किए गए संघर्ष के आँकड़े तथा इस दौरान उपजे आंदोलनों के स्वरूप और उसके बारे में लोगों की सोच की ही यहाँ लिया गया है। इस साहित्य में उन्नीसवी सदी के महिला सुधारकों और 20वींस दी की राष्ट्रवादी महिला नेताओं के बारे में जानकारी उपलब्ध है। अनेक जिवनियाँ, भाषणों के संकलन, आत्मकथाएँ तथा संस्मरण भी उपलब्ध है। इनमें स्त्री विशेष के

व्यक्तिगत जीवन एवं कार्यों से संबंधि महिला आंदोलन से संबंधित सामग्री उपलब्धहै। उसमें मध्य वर्ग और ऊँची जाति के आंदोलनों की तरफ ज़्यादा झुकाव है। उन्नीसवीं सदी के अन्त और वीसवी सदी के आरंभ में अनेक सक्रिय महिला आंदोलन हुए जिनमें शराबबंदी, नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च, विदेशी वस्त्रों एवं शराब का बहिष्कार, पत्नी-उत्पीड़न के पीछे पतियों की नशाखोरी का मुख्य कारण था। जिसके परिणामस्वरूप शराब-विरोधी आंदोलन का उदय हुआ।

2) त्रिपाठी कुसुम, 28 नवंबर, 2004, "जब स्त्रियों ने इतिहास रचा", नवजागरण प्रकाशन, नागपुर, 440014 - कुसुम त्रिपाठीजी ने भारत में महिला आंदोलन का इतिहास लिखने का प्रयत्न इस पुस्तक में किया है। सार्वजनिक जीवन में और इतिहास के पन्नों में स्त्रियाँ अदृश्य रहती है। यह स्त्री आंदोलनों का सामाजिक वास्तविक विधान है। कुछ राजघराने की अथवा प्राचीनकाल में प्रसिद्धि प्राप्त स्त्रियाँ ही कुछ गिनी-चुनी स्त्रियाँ अथवा राजनैतिक आंदोलनों से जुड़ी स्त्रियाँ ही इतिहास लेखन में दिखाई देती है। अन्य स्त्रियोंके शामिल करने का प्रयत्न इतिहास लेखन में नहीं दिखाई देता। समाज दबे-पिछड़े-पददलित मनुष्य के गुटों के इतिास को भी उदृश्य रखता है। परन्तु जिन घटनाओं को, मनुष्य समुदाय के जीवन को योगय पद्धदति से दस्तावेजों नहीं किया गया हो। इस संदर्भ में कुसुम त्रिपाठी ने प्रयत्नकिया है। यथार्थ में देखा जाये तो भारत में सामाजिक-राजनैतिक संघर्ष के इतिहास में खेतिहार-ग्रामीण स्त्रियों का समावेश होने के करण हमेशा मिलते है। श्रीमती कुसुम त्रिपाठी ने भारत में विविध प्रांतो के आंदोलनों का उल्लेखन करते समय तेलंगाना, तेभागा आंदोलन जैसी जमीन से संबंधित मेहनत कशों की लड़ाई को प्रधानता दी है। लेखिका ने भारत के पूर्व सीमाप्रांत की स्त्रियों और कश्मीर जैसे आतंकवादी प्रदेश की स्त्रियों को नजरअंदाज न कर उनपर अलग से विचार किया है। कुसुम त्रिपाठी की पुस्तक हमारे लिए महज एक पुस्तक का प्रकाशन नहीं बल्कि हमारी वैचारी प्रतिबद्धता और समाज में नया जागरण लाने की हमारी चाहत का परिणाम है। महिलाओं को अपने हकों की लड़ाई, इज्जत की लड़ाई, मुक्ति की लड़ाई, एक नयी समाज रचने की लड़ाई निरंतर जारी है। अन्याय और अत्याचार के विरूद्ध संघर्ष करते हुए जिन्होंने अतीत में इतिहास रचा और जो आज भी इतिहा रच रही है। ऐसी तमाम खामोश आवाजों को शब्दबद्ध करने का प्रयास कुसुम त्रिपाठी ने अपनी इस किताब में किया है।

3) आर्य साधना, मेनन निवेदिता, लोकनीता जिनी, नारीवादी राजनीति संघर्ष एवं मुद्दे हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय , मार्च 2001 - इस पुस्तक में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला आंदोलनों और विशेष रूप से भारत में महिला आन्दोलन को उभारा गया है। जिनमें से कई ने हमारे देश में महिला आंदोलन को न केवल नई उर्जा और प्रखरता प्रदान की, बल्कि उसे ठोस आधार दिया है। राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाएं उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन और महिलाएं असहयोग आंदोलन में महिलाएं क्रांतिकारी और कम्युनिस्ट आंदोलन में महिलाएं भारत छोड़ो आंदोलन- 1940 का दशक, गाँधीजी और महिलाएँ, पश्चिम में समकालीन महिला आंदोलन आंदोलन के भीतर मतभेद और चुनौतियां समाजवादी देशों में महिला आंदोलन, समकालीन भारत में महिला आंदोलन का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी शराबबंदी आंदोलन में महिलाएं। आंदोलन का पुनरावलोकन और आंदोलन के संक्षिप्त इतिहास से यह साफ पता चलता है कि 1947 के बाद का दशक महिलाओं के लिए विशेष महत्व का रहा है। नए-नए संगठन, संघर्ष और मुद्दे निकले आंदोलन अनेक दिशाओं में विकसित हुआ। 1990 का दशक महिला आंदोलन के दृढ़ीकरण काल है। महिला आंदोलन के प्रभावों व दबावों के कारण राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के विकास और महिलाओं के सशक्तीकरण के मुद्दों को मुख्यधारा में लाने की कोशिश चल रही है। 25 अप्रैल, 1975 से वर्धा जिले में शराबबंदी घोषित की गयी। 2 अक्टूबर, 1992 में गड़चिरोली जिले में शराबबंदी कि गयी। श्रीमती पारामिता गोस्वामी के विशेष सहभाग से 5 साल के आंदोलन के बाद यह आंदोलन सफल हुआ।

4) 11 मई, 2015 - दैनिक भास्कर (शराब विक्रेताओं को मिल रहा बढ़ावा – (सेलू/संवाददाता) - महात्मा गांधी विनोबा भावे की पावन भूमि वर्धा जिले में वर्ष 1971 में शराब बंदी घोषित की गई थी। तब से यहाँ शराब बंदी है लेकिन केवल नाम के लिए यहाँ की स्थिति कुछ अलग ही है। यहाँ शहर की गलियों में जाते ही शराब की बोतले मार्ग व नालियों पर पड़ी मिलती है। कुछ जगह पर रास्ते से शराब के नशे में चुर लड़खड़ाते शराबी नजर आते है1 जिससे ये प्रतित होता है की यहाँ शराब की नदियाँ किस कदर बह रही है। यहाँ शराब के शौकिन लोग फोन द्वारा शराब मंगवाते है। सेलू तहसील में बोर अभयारण्य, केलझर, के सिद्धी विनायक देवस्थान, खड़की, हनुमान मंदिर, विदर्भ के पंढरी नाम से पहचाने जाने वाला घोराड़ इन तहसीलों में शराब बिक्री अधिक तौर पर की जाती है। यहाँ प्रत्येक गांव में शराब बंदी की गई है। लेकिन फिर भी शहर के गलियों में देशी, विदेशी शराब की बोतले तो ग्रामीणों में देसी शराब की बोतले

देखने को मिलती है। सेलू में मध्यवर्ती सहकारी बैंक के पिछे शराब की बोतलों का भंडार दिखाई देता है। इतनाही नहीं कई लोग प्लास्टिक की बोतलों में भी शराब लाकर पिते दिखाई दे रहें है। पूर्व इस गांव में देवकी उईके नाम की थानेदार थी जिसके नाम से ही शराब बिक्रेता घबराते थे। उसके बाद उल्हास भुसारी नाकम थानेदार का भी डर था। उनका नाम आज भी महिलाओं में बड़ी आदर से लिया जाता है। लेकिन उनके बाद से इस व्यवसाय पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया। थाने की आज की स्थिति में शराब विक्रेताओं को रोकनेवाला कोई नहीं है। शराब बंदी के लिए एक सक्रिय महिला मंडल बनाना जरूरी है।

शराबबंदी के लिये महापुरूषों के कथन -

गांधीजी - "यदि देश में शराबबंदी लागु नहीं होगी तो हमारी स्वतंत्रता गुलामी बनकर रह जायेगी"
सत्यानंद - "देशभक्तों शराबबंदी के लिए कमर कस लो अन्यथा अपराधों की आग में समाज जल जायेगा"-
तिलक - शराब पीनेवालों का और शराब पिलाने वाली सरकार का हमें बहिष्कार करना चाहिए।

रामपाल श्रीवास्तव (जून 17, 2012) - "शराब पीने वाले और पिलाने वालों को बेटी और वोट मत दो"-
महात्मा गांधी - "मैं भारत का गरीब और पिछड़ा होना सहन कर सकता हूँ परन्तु यह सहन नहीं कर सकता की हमारे देश में लाखों करोड़ो शराबी हो।"

राष्ट्रपति रूजवेल्ट - "शराब राष्ट्र, समाज को व्यिक्त और परिवार को समूल नष्ट कर देती है।"

डॉ. रॉबर्ट पियर्सन - "युद्ध, अकाल, महामारी, बाढ़ और भूकम्प कभी-कभी प्राण लेते है शराब से हर वर्ष लाखों लोग मरते है।", "किसी से दुश्मनी निकालनी हो तो उसके बेटे को शराब पानी सिखा दो - इससे अच्छा तरीका दुनिया में नहीं।" पुरानी कहावत है।

"मानो महापुरूषों का कहना, दारूसे सदा दूर रहना।
दारू सभी दु:खो की खान, दारू खोती आदर मान।।"[1]

---

[1] 'जय शराब बंदी' – कमल माथुर ब्यूरो चीफ दैनिक भास्कर सीकर